रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2501] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2012/पौष 6, 1934

No. 2501] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2012/PAUSA 6, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3011(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (रास्तपसनिप्रा), चंडीगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण चंडीगढ़ कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. डा. वीर सिंह, निदेशक (शैक्षिक) -चंडीगढ़ विधि एकेडमी, सेक्टर-43, चंडीगढ़ ।	अध्यक्ष
2. प्रो. एस.के. शर्मा, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग विभाग, पंजाब इंजीनियरी महाविद्यालय, चंडीगढ़ ।	सदस्य
3. निदेशक, पर्यावरण चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हैं ।

4. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण चंडीगढ़ की सहायता के लिए चंडीगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति, चंडीगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् राविअस चंडीगढ़ कहा गया है) गठित करती है,जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री खजान सिंह, भा.व. से. (सेवानिवृत्त) से. 5, सूर्या एन्क्लेव, सेक्टर-125, खारर लदरान, एसएएस नगर मोहाली, पंजाब ।	अध्यक्ष
2. प्रो. एम.एस. जोहाल, प्राणी विज्ञान विभाग, पंजाब महाविद्यालय, चंडीगढ़ ।	सदस्य
3. श्री विवेक पांडेय, वैज्ञानिक 'बी', चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति	सदस्य
4. डा. वी.के. रतन, रासायनिक इंजीनियरी विभाग, पंजाब महाविद्यालय, चंडीगढ़ ।	सदस्य
5. प्रो. शक्ति अरोड़ा, पर्यावरण इंजीनियरी विभाग, पंजाब इंजीनियरी महाविद्यालय, सेक्टर-12, चंडीगढ़ ।	सदस्य
6. श्री रजनीश वाट्टस, प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त), म.नं. 72, सेक्टर 28-ए, चंडीगढ़	सदस्य
7. वैज्ञानिक 'एसई', पर्यावरण विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र ।	सचिव

5. प्राधिकरण, राविअस चंडीगढ़ की सिफारिशों पर विनिश्चय करेगा ।

6. राविअस चंडीगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राविअस चंडीगढ़, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रभावित हैं ।

8. राविअस चंडीगढ़, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. चंडीगढ़ सरकार, प्राधिकरण और राविअस चंडीगढ़ के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राविअस चंडीगढ़ के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता चंडीगढ़ प्रशासन के विद्यमान नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे ।

[सं. जे-11013/21/2007-आईए. II(I)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2012

S.O. 3011(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Chandigarh (hereinafter in this notification referred to as the Authority, Chandigarh) comprising of the following members, namely: -

1.	Dr. Veer Singh, Director (Academics)- Chandigarh Judicial Academy Sector 43, Chandigarh.	Chairman
2.	Prof. S. K. Sharma, Department of Environmental Engineering, Punjab Engineering College, Chandigarh.	Member
3.	Director, Environment, Chandigarh Administration.	Member Secretary

2. The Chairman and members of the Authority, Chandigarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Chandigarh shall exercise such powers and follow such procedure as are enumerated in the said Gazette notification.

4. The Central Government, to assist the Authority, Chandigarh in consultation with the State Government of Chandigarh, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee, Chandigarh (hereinafter in this notification referred to as SEAC, Chandigarh) comprising of the following Members, namely :-

1.	Shri Khazan Singh, IFS (Retired) No. 5, Surya Enclave, Sector – 115, Kharar Ladran, SAS Nagar Mohali, Punjab.	Chairman

2.	Prof. M. S. Johal, Department of Zoology, Punjab University, Chandigarh.	Member
3.	Shri Vivek Pandey, Scientist 'B', Chandigarh Pollution Control Committee	Member
4.	Dr. V.K. Rattan, Department of Chemical Engineering, Punjab University, Chandigarh.	Member
5.	Prof. Shakti Kumar Arora, Department of Environmental Engineering, Punjab Engineering College, Sector-12, Chandigarh.	Member
6	Shri Rajnish Wattas, Principal (Retired), H. No. 72, Sector 28-A, Chandigarh	Member
7	Scientist 'SE', Department of Environment, UT, Chandigarh.	Secretary

5. The Authority, Chandigarh shall take decisions on the recommendations of the SEAC, Chandigarh.

6. The Chairman and Members of the SEAC, Chandigarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Chandigarh shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Chandigarh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

9. The Government of Chandigarh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the SEAC, Chandigarh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Chandigarh and the Chairman and Members of SEAC, Chandigarh shall be paid in accordance with the existing rules of the Chandigarh Administration.

[No. J-11013/21/2007-IA. II (I)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.